


उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुसंधान
संख्या : 1327 / कृषि / (6) / 2002
देहरादून : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को सुचारु रूप से लागू किये जाने हेतु तथा बीमा योजना में सामिल फसलों, क्षेत्रों, प्रीमियम व समय-सारणी आदि के संदर्भ में निर्णय हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4.	सचिव, कृषि	सदस्य
5.	सचिव, उद्यान	सदस्य
6.	सचिव, सहकारिता	सदस्य
7.	सचिव, ऊर्जा	सदस्य
8.	सचिव, सिंचाई	सदस्य
9.	सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
10.	अपर निदेशक, कृषि	सदस्य/संयोजक
11.	साधारण बीमा निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	प्रबन्ध निदेशक, तराई बीज विकास निगम, हल्दी, उधमसिंह नगर	सदस्य
13.	सहायक महाप्रबन्धक, बैंक आफ बड़ोदा, हल्द्वानी	सदस्य
14.	महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून	सदस्य
15.	सहायक महाप्रबन्धक, पी0एन0बी0, देहरादून	सदस्य
16.	सहायक महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक, देहरादून	सदस्य
17.	डिबीजनल मैनेजर, केनरा बैंक, देहरादून	सदस्य
18.	उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून	सदस्य
19.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, देहरादून	सदस्य
20.	सहायक महाप्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक, देहरादून	सदस्य
21.	वरिष्ठ प्रबन्धक, इण्डियन बैंक, देहरादून	सदस्य
22.	मुख्य प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक, देहरादून	सदस्य
23.	रीजनल मैनेजर कोआपरेटिव बैंक, देहरादून	सदस्य


(बी0 पी0 पाण्डेय)
सचिव